



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 517]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 25, 2011/चैत्र 4, 1933

No. 517]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 25, 2011/CHAITRA 4, 1933

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2011

का.आ. 632(अ).—केन्द्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय बीज समिति से परामर्श के पश्चात्, यह राय होने पर की नीचे की सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट किस्मों के बीजों की क्वालिटी, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रकार के हैं, का विनियमन करना आवश्यक और समीचीन है, यह घोषणा करती है कि बीजों की उक्त किस्में उक्त सारणी के स्तंभ (4) में उल्लिखित राज्यों के लिए कृषि प्रयोजन हेतु विक्रय किए जाने के लिए अधिसूचित किस्में होंगी और बीज उत्पादन और क्वालिटी नियंत्रण के प्रयोजनों के लिए सम्पूर्ण भारत के लिए अधिसूचित किस्में होंगी; अर्थात् :—

सारणी

क्र. सं.	प्रकार	किस्म	राज्य
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	चावल (संकर)	27 पी 11 (आईईटी 19766)	कर्नाटक और महाराष्ट्र
2.	मक्का (संकर)	बिस्को 855 (बिस्को भीम)	मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात
3.	मक्का (संकर)	बिस्को 555 (बिस्को उजाला)	पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश
4.	मक्का (संकर)	बिस्को 111 (बिस्को 840)	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र
5.	चावल	सहभागी धान [(आईईटी सं. 19576) आईआर 74371-70-1-1 1446 सीआरआर-1]	झारखंड और उड़ीसा
6.	बाजरा	आरएचबी-173 (एमएच-1446)	राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और दिल्ली
7.	बाजरा	पुसा कम्पोजिट 612 (एमपी-480)	महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु
8.	चना	सीओ-6 (सीओबीजी 653)	कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु
9.	गेहूं	पुसा बसन्त (एचडी 2985)	उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, असम और पूर्वोत्तर राज्य

